Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119–2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 19-HLA of 2020/64/11502.— The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 19-HLA of 2020

THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Act, 2020. Short title.

2. In section 2 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (hereinafter called the principal Act),– Amendment of section 2 of Punjab Act 18 of 1961.

(i) in clause (bb), the words and sign "Manimajra Block," shall be omitted;

(ii) in clause (g),-

(a) in sub-clause (4), for the words, signs and figures "clause (mmm) of section 3 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952", the words, signs and figures "clause (liv) of section 2 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994" shall be substituted; and

(b) item (i) shall be omitted.

3. In sub–section (2) of section 7 of the principal Act, for the words "at a rate not less than five thousand rupees and not more than ten thousand rupees per hectare per annum", the words "at the rate of one percent of the Collector rate of the land per acre per annum with the ceiling of total penalty amount equal to ten percent of the current Collector rate of the encroached land" shall be substituted. Amendment of section 7 of Punjab Act 18 of 1961.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill seeks to omit the name of the area which is not part of Haryana State and to include the definition of sabha area given in the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 as the earlier definition had become obsolete. It was also considered necessary to increase the penalty and to link the rate of penalty with the value of the land in case of encroachment on lands in shamilat deh to make the penalty serve as an effective deterrent. Further to avoid misinterpretation of the exception clause, it was considered necessary to omit item (i) of section 2(g) of the Punjab Act No. 18 of 1961 (Applicable to Haryana).

Hence this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 19 एच.एल.ए.

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (खख) में, ''मनीमाजरा खण्ड'', शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (छ) में,–

(क) उप–खण्ड (4) में, ''पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952, की धारा 3 के खण्ड (डडड)'', शब्दों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (Iiv)'', शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) मद (i) का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) में, ''ऐसी दर पर, जो पांच हजार रूपये से कम और दस हजार रूपये से अधिक न हो'', शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी दर पर, जो अधिक्रमित भूमि की चालू कलक्टर दर के दस प्रतिशत के बराबर कुल शास्ति राशि की अधिकतम सीमा सहित प्रति एकड़ प्रति वर्ष भूमि की कलक्टर दर का एक प्रतिशत'', शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 7 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा उस क्षेत्र के नाम का लोपन किया जाता है जो हरियाणा राज्य का भाग नहीं है और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दी गई सभा क्षेत्र की परिभाषा को शामिल किया जाता है क्योंकि पहले से दी गई परिभाषा लुप्तप्रायः हो चुकी है। यह भी आवश्यक समझा गया कि जुर्माने को प्रभावी निवारक बनाने के लिए जुर्माने को बढ़ाया जाए और इसे शामलात देह भूमि पर नाजायज कब्जे के दशा में जुर्माना राशि को भूमि के मूल्य के साथ लिंक किया जाए। इसके आगे अपवाद खण्ड की गलत व्याख्या से बचने के लिए पंजाब अधिनिमय संख्या 18 ऑफ 1961 की धारा 2(जी) की मद (i) को लोपित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 24 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।